प्रमाण पत्र

संशोधित प्रदर्श –"1

आवेदक कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जिला राजनांदगांव छ.ग. द्वारा मरकाटोला जलाशय परियोजना कार्य के लिये राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील के ग्राम पंचायत मरकाटोला के ग्राम मरकाटोला राजनांदगांव वन मण्डल के पानाबरस परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ–762 की वन भूमि रकबा 48.830 हे. व्यपवर्तित किये जाने हेतु प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी मोहला के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 48.830 हे. है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम मरकाटोला तहसील मोहला में स्थित है, में तदनुसार या कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक ग्राम जोब ग्राम पंचायत मरकाटोला में उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23/09/2017 (प्रदर्श–"अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है।

2 ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम मरकाटोला, ग्राम पंचायत मरकाटोला के सरपंच श्रीमती जगन्नाथ पदमाकर की अध्यक्षता में हुई । ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23/09/2017 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले 04 व्यक्ति है, जो कि कम्पार्टमेन्ट नम्बर 762 से संबंधित है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)	कम्पार्टमेन्ट नम्बर
1	पथरेल	राजूराम, श्रीमती चमेरबाई	2.000	762
2	पथरेल	कलीराम, श्रीमती श्यामबाई	1.700	762
3	पथरेल	बालसिंह	1.760	762
4	पथरेल	दुम्मेनसिंह	1.800	762

3 ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4 वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी, मोहला के प्रमाण पत्र के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23/09/2017 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जन जाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (c) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5 वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 23/09/2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(भीम सिंह)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला–राजनांदगांव

दिनांक 25/09/2017

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक /1240 /अनु.अधि./प्र–1/2017 मोहला दिनॉक 23/09/2017

प्रति

कलेक्टर
(भू–अभिलेख शाखा)
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– विकासखण्ड़ मोहला के अंतर्गत निर्माणाधीन मरकाटोला जलाशय (वन प्रभावित) योजना का वन विभाग में पंजीयन बाबत् प्रदर्श "स" प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 2784/भू.अ./रा.नि.व.लो./2017, राजनांदगांव, दिनांक 20.09.2017.

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में विकासखण्ड़ मोहला के अंतर्गत निर्माणाधीन मरकाटोला जलाशय (वन प्रभावित) योजना का वन विभाग में पंजीयन बाबत् पूर्व में 05 (पांच) व्यक्तियों का प्रदर्श "ब" जारी किया गया था, चूंकि वर्तमान में बुधराम/श्रीमती कविता बाई गोंड़, ग्राम पथरेल को मरकाटोला जलाशय के डुबान क्षेत्र से बाहर पाये जाने के कारण संशोधित प्रदर्श "ब" जारी किया गया है, जिसमें इनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतएव इस संबंध में वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत का संशोधित प्रदर्श "अ", ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की कार्यवाही की नकल तथा अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Ritu... 23/9/17

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
मोहला, जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)

प्रदर्श स

—:अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला राजनांदगांव:—

आवेदन संस्थान कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव को मरकाटोला जलाशय परियोजना कार्य हेतु राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत पानाबरस परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष कमांक पी.एफ.–762 के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 48.830 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

01. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत संपूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 48.830 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम मरकाटोला के समीप पानाबरस परिक्षेत्र के वनकक्ष कमांक पी. एफ.–762 तहसील–मोहला–मानपुर में स्थित है। तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23/09/2017 (प्रदर्श "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

02. प्रमाणित किया जाता है उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत मरकाटोला के सरपंच श्री/श्रीमती जगन्नाथ पद्माकर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23/09/2017 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दिनांक सहित) एवं 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा वन समिति सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है। 04 व्यक्तियों को वन मान्यता पट्टा दिया गया है जिसे व्यपवर्तन के पहले नवीन जगह में स्थापित किया जावेगा।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :—

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.) में	कंपार्टमेंट नं.	संशोधित कंपार्टमेंट नं.
1	पथरेल	राजूराम, श्रीमती चमेरबाई	2.000	762	पूर्ववत्
2	पथरेल	कलीराम श्रीमती श्याम बाई	1.700	762	पूर्ववत
3	पथरेल	बाल सिंह	1.760	761	762
4	पथरेल	चुम्मेन सिंह	1.800	761	762

03. प्रमाणित किया जाता है कि पांच व्यक्तियों का अतिकमण द्वारा पूर्व में मांग वन अधिकार पट्टा हेतु ग्राम पंचायत पाटन में प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में अतिकमण धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	अतिकमण धारक का नाम	रकबा (हे.) में	कंपार्टमेंट नं.
1	पथरेल	संपतलाल आ0 दशरूराम	0.810	762
2	पथरेल	मनकाय बाई पति श्यामूराम	0.810	762
3	पथरेल	कृष्णाराम, अंजोरी राम	2.020	762
4	पथरेल	श्याम लाल आ. आत्माराम	1.620	762
5	पथरेल	मंगला पति विष्णु	1.620	762

04. प्रमाणित किया जाता है कि भूमि स्वामी शिवराम पिता गंगाधर खसरा नं. 43 रकबा 1.121 हे. का 72/19.03.1981 धारक को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

05. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

06. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23.09.2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है। जिसका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

07. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23.09.2017 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर मरकाटोला जलाशय निर्माण अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सदस्य
ज.पं. क्षेत्र क्र. 04 मानपुर

जनपद सदस्य
सदस्य ज.पं. क्षेत्र क्र. मोहला
ज.पं. मोहला
जिला-राजनांदगांव (छ.ग)

सदस्य
ज.पं. क्षेत्र क्र. अं.चौकी

अनुविभागीय अधिकारी
पानाबरस परियोजना मंडल
वनमंडल राजनांदगांव

अनुविभागीय अधिकारी(वन)
उप वनमंडल मानुपर

अनुविभागीय अधिकारी(वन)
उप वनमंडल अं.चौकी

मंडल संयोजक
आ.जि.आ.जाति विभाग मोहला

वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल,राजनांदगांव

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) मोहला (छ.ग.)

प्रदर्श "अ"

ग्राम सभा मरकाटोला की बैठक दिनांक 23/9/2017 का कार्यवाही विवरण

ग्राम पंचायत मरकाटोला

आज दिनांक 23/9/2017 को ग्राम पंचायत मरकाटोला के सरपंच श्री जगन्नाथ पदमाकर की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई । इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति मरकाटोला के 60 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे । बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई –

1. ग्राम मरकाटोला में आवेदक/एजेंसी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव द्वारा पानाबरस परिक्षेत्र के संरक्षित वनकक्ष क्र. पी.एफ.–762 की 48.830 हे. वन भूमि मरकाटोला जलाशय परियोजना के लिये मांग की गई है, जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गई है ।
2. प्रस्ताव का लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्रामसभा की बैठक में विस्तृत से गहन चर्चा की गई है ।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई । ग्राम मरकाटोला में पानाबरस परिक्षेत्र के वनकक्ष क्र. पी.एफ.–762 की 48.830 हे. वन भूमि में मरकाटोला जलाशय परियोजना के लिये आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि प्रस्तावित की गई है, में आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी इस प्रस्तावित वनभूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि संपादित कर रहें हैं एवं वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर दिया गया है ।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	पथरेल	(1) पुम्मेनसिंह (2) कलीराम (3) बालसिंह (4) राजाराम एवं	(1) 1.800 हे. (2) 1.700 (3) 1.760 हे. (4) 2.000

(1) कुंवरराम/श्रीमति कविताबाई पट्टाधारी कृषक द्वारा [illegible]

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 48.830 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

संलग्न :– ग्राम सभा के इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(1) मनोहर तुलावी
(2) [illegible] नेताम
(3) देव प्रसाद तुलावी
(4) [illegible]

[illegible]
[illegible]
देवप्रसाद तुलावी

हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत मरकाटोला
जगन्नाथ पदमाकर
सरपंच मरकाटोला

कार्यवाही बैठक की नकल

ग्राम-पंचायत भरकाटोला   दिनांक 23/01/2017

विकास खण्ड मोहला   तहसील मोहला   जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
मनकरसाय तुलावी अध्यक्ष [illegible]नाथ पद्माकर (सरपंच) देवप्रसाद सदस्य [illegible]राम पं. [illegible]कुमार पं. [illegible]लाल पं. एवं कु. [illegible] ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य संख्या	प्रस्ताव क्र. 1 में गैरवानिकी प्रयोजन हेतु जल संसाधन विभाग राजनांदगांव को व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत	आज दिनांक 23.01.2017 को ग्राम सभा श्री मनकरसाय तुलावी की अध्यक्षता में समय [illegible] बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन भरकाटोला में आयोजन रखा गया था जिसमें आवेदक जल संसाधन विभाग राजनांदगांव में वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 48.83 हे. कुल वन भूमि की मांग की गई है। वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा किया गया जो वन भूमि अधूरा बांध को पूर्ण करने के लिए व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है। जिसमें ग्राम पंचायत के चार कृषक को लाभ आता है एवं अन्य कृषक लाभ [illegible] अतः सर्वसम्मति से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है। कि 48.83 हे. कुल वन भूमि को जल संसाधन विभाग राजनांदगांव को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया जाता है।	यह प्रस्ताव जल संसाधन विभाग राजनांदगांव को व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग के लिए किया गया है।	ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की हस्ताक्षर

दिनांक 23/01/2017

सचिव 23/01/017
सचिव
ग्राम पंचायत भरकाटोला

सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत भरकाटोला

ग्राम पंचायत भरकाटोला

पंचनामा

हम नीचे लिखे हस्ताक्षरकर्ता पंचगण अपना सच-सच बयान करते हैं कि आज दिनांक 21/09/2017 को वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हमारे ग्राम-पथरेल पहुंचे और कक्ष क्रमांक C/762 में मरकाटोला जलाशय क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार मान्यता प्राप्त पत्र कृषकों के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जो कि मरका टोला जलाशय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित पट्टाधारी कृषकों का कृषि क्षेत्र पाया गया।

(1) सुमेर सिंह/चमरसिंह गोंड़ ग्राम पथरेल C/762 1.800 हे०
(2) बलराम/सुमेर सिंह —"— —"— C/762 1.700 हे.
(3) लालसिंह/बेदुराम —"— —"— C/762 1.760 हे०
(4) [illegible]राम/चमरे बाई —"— —"— C/762 2.000 हे०

एवं

निम्नांकित पट्टाधारी कृषक जो मरकाटोला जलाशय के डुबान क्षेत्र से बाहर पाया गया

(1) बुधराम/श्री मति कविता बाई गोंड़ पथरेल C/762-2.00 हे.

(1) बुधराम/श्री मति कविता बाई गोंड़ ग्राम पथरेल - बुधराम
(2) प्रीतलाल/नेहरु गोंड़ ग्राम पथरेल - प्रीतलाल
(3) [illegible]लाल/हिरामन छलार ग्राम पथरेल [signature]
(4) कमल साय/आतिराम ग्राम मरकाटोला - कमल साय
(5) संजय कुमार/शंका लाल —"— संजय कुमार
(6) मनमोहसिंह/बुधलाल —"— मनोसिंह
(7) [illegible] [signature] [signature] सी. साहू